एक नजर में

एडीएम कलेश ने महुडिया राजस्व शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

नीमच। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिले में आयोजित किए जा रहे विशेष राजस्व शिविरों में ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम मं जीरन तहसील के ग्राम महुडिया में शनिवार को आयोजित विशेष राजस्व शिविर में एडीएम श्री बी.एस.कलेश ने उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश दिए।

बाइक दुर्घटना में महिला की मौत, पति गंभीर घायल

गरोठ। मध्य प्रदेश के गरोठ क्षेत्र में भानपुर रोड स्थित कुरेशी वेयरहाउस के पास शनिवार दोपहर हुई बाइक दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल गरोठ शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला कौशल्या बाई (48 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति जगदीश पिता देवीलाल लोहार (50 वर्ष) की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों कोटड़ा बुजुर्ग गांव के निवासी थे। वे 24 दिसंबर को अपनी बुआ के गांव अंतरालिया गए थे और वहां से लौटते समय गरोठ के समीप यह हादसा हो गया। कौशल्या बाई का पोस्टमार्टम गरोठ शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है। सूचना मिलने पर गरोठ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मर्ग कायम किया। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

अभिव्यक्ति स्थल पर हर रविवार सजेगा जैविक हाट बाजार

मंदसौर। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज के लिए उचित विपणन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अभिव्यक्ति स्थल, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर में जैविक हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री रविंद्र मोदी ने बताया कि यह जैविक हाट बाजार प्रत्येक रविवार, प्रातः 11.00 बजे से नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस हाट बाजार में मंदसौर जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक, कृषक समूह तथा स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री हेतु यह एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं रसायन मुक्त उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध होंगे।जिले के समस्त जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों, उत्पादक समूहों तथा क्रेता-विक्रेताओं से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जैविक हाट बाजार में सहभागिता करें।

शासकीय / प्रायवेट कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया तो 50 हजार रूपए का जुर्माना होगा

मंदसौर। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी बी.एल. बिश्नोई द्वारा बताया गया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम वातावरण, सुरक्षा प्रदान करते हुए मजबूत शिकायत तंत्र प्रावधानित किया है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक आंतरिक समिति का गठन करेगा। प्रत्येक कार्यालय (शासकीय / प्रायवेट) जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे कार्यालय में एक आंतरिक समिति का गठन होना अनिवार्य है। समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होती है। तीन वर्ष पश्चात समिति का पुनर्गठन किया जाना होता है। जिले के प्रत्येक 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में समिति का गठन पीठासीन अधिकारी कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठ महिला कर्मचारी, वरिष्ठ महिला उपलब्ध न होने पर अन्य कार्यालय से किसी अन्य महिला को आमंत्रित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक समिति का गठन करें अथवा पूर्व में गठित समितियों का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात नवीन समिति का गठन कर स्द्धद्ग क्ष्ह्रङ्ग प्रोर्टल पर रजिस्?ट्रेशन अनिवार्य रूप से करे, अन्यथा इस स्थिति में कार्यालयीन समिति का सही गठन या गठन न होने पर अधिनियम की धारा-26(1) के अनुसार 50 हजार रुपए की राशि से जुमनि से दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 3 जनवरी को

मंदसौर। सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन द्वारा बताया गया कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद श्री सुधीर गुप्?ता की अध्यक्षता में 3 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे जिला पंचायत सभागृह में होगी।

दो वर्ष से फरार बैंक राशि गबन का आरोपी गिरफ्तार

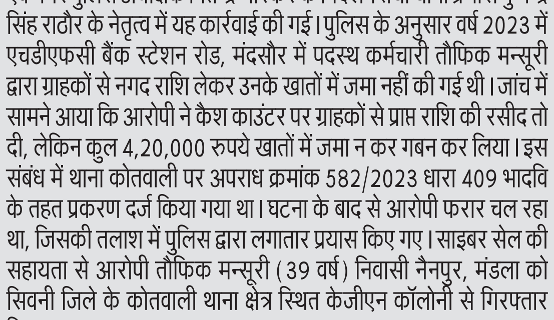

मंदसौर। थाना कोतवाली पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों से 4 लाख 20 हजार रुपये की राशि का गबन कर 02 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को जिला सिवनी से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक नितेन्द्र भास्कर के निर्देशन तथा थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र सिंह राठौर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में एचडीएफसी बैंक स्टेशन रोड, मंदसौर में पदस्थ कर्मचारी तौफिक मन्सूरी द्वारा ग्राहकों से नगद राशि लेकर उनके खातों में जमा नहीं की गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैश काउंटर पर ग्राहकों से प्राप्त राशि की रसीद तो दी, लेकिन कुल 4,20,000 रुपये खातों में जमा न कर गबन कर लिया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 582/2023 धारा 409 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए। साइबर सेल की सहायता से आरोपी तौफिक मन्सूरी (39 वर्ष) निवासी नैनपुर, मंडला को सिवनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित केजीएन कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।

राजस्व शिविर में कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, निराकरण के निर्देश दिए

नीमच। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिले के गांवों में ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शनिवार को जावद तहसील के ग्राम अरनिया मामादेव में आयोजित विशेष राजस्व शिविर का निरीक्षण कर जायजा लिया।

उन्होने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर ने जल निगम की क्रियान्वयन एजेंसी डी.बी.एल.द्वारा पाईप लाईन डालने के दौरान गांव की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने पर, ग्रामीणों की मांग पर पुलिया की तत्काल मरम्मत करवाने के निर्देश जल निगम को दिए। बांगरेड के मोहनलाल द्वारा गांव के ही किशन भावसिह बंजारा व उनके परिजनों द्वारा अवरूद्ध किया गया रास्ता खुलवाने की मांग पर कलेक्टर ने तहसीलदार को मौके पर जाकर रास्ता विवाद का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने गांव के पुराने स्कूल के भवन को डिस्मेटल करने के प्राप्त प्रस्ताव पर त्वरित कार्यवाही का विश्वास भी ग्रामीणों को दिलाया। ग्रामीणों ने गांव अरनिया मामादेव व देपालपुरा में नवीन आंगनवाडी केंद्र भवन निर्माण, गांव में नाली निर्माण, गांव में सोसायटी के खाद गोदाम से खाद वितरण प्रारंभ करवाने की मांग पर भी कलेक्टर ने समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर स्कूल, आंगनवाडी का नियमित संचालन, खाद वितरण यूरिया वितरण की भी जानकारी ली। उन्होने आंगनवाडी कार्यकर्ताओं से सभी बच्चों व गर्भवती माताओं का सम्पूर्ण टीकाकरण, ऋ्रूएवं ऋ्रू श्रेणी के बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती करवाने संबंधी जानकारी भी ली।

इस मौके पर एसडीएम सुश्री प्रीती संघवी, तहसीलदार श्री नवीन गर्ग, नायब तहसीलदार श्री कमलेश डुडवे सहित अन्य अधिकारी एवं राजस्व तथ विभिन्न विभागों का ग्रामीण अमला एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

नवल बाई मेहता शिक्षण समिति ने अगोरिया स्कूल में बाँटे स्वेटर

कड़ी मेहनत सफलता का एकमात्र रास्ता- ललिता मेहता

मन्दसौर। नवल बाई मेहता शिक्षण समिति द्वारा सामाजिक सरोकार के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय अगोरिया में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन कर कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूली छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्वेटर वितरित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान ललिता मेहता ने सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, जिसे अपनाकर विद्यार्थी अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। वहीं, पुष्पा तरवेचा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।कार्यक्रम में आबिद भाई ने माँ की ममता पर आधारित भावुक और प्रेरणादायी गीत ''ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी'' सुनाकर उपस्थितजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया।विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय में एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए राजवीर, वर्षा और देवेंद्र को पुरस्कृत किया गया। साथ ही, गायन के क्षेत्र में बेहतरीन प्रस्तुति देने वाली छात्रा लुभानी चरेड़ को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक मदन नाथ सिसोदिया, कारूलाल सुरौलिया और अखिलेश श्रीवास्तव का सराहनीय सहयोग रहा।

कलेक्टर ने किया जावद चिकित्सालय का निरीक्षण

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शनिवार को शासकीय सामुदायिक चिकित्सालय जावद का निरीक्षण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने जावद चिकित्सालय के निरीक्षण दौरान पदस्थ चिकित्सक एवं स्टाफ की जानकारी ली। उन्होने प्रसूति वार्ड, प्रसूति कक्ष, ओपीडी में आने वाले मरीजों, स्टाफ आदि की जानकारी ली। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ.भायल ने बताया, कि जावद में प्रतिमाह 20 से 25 प्रसूति होती है। महिलाओं के लिए पृथक से वार्ड की आवश्यकता है। साथ ही किचन की भी आवश्यकता है। कलेक्टर ने टी.बी.जांच कक्ष का भी निरीक्षण किया और प्रतिदिन एक्सरे एवं टी.बी.जाचं की संख्या की जानकारी ली। उन्होने टी.बी. संभावित मरीजों की जांच संख्या बढाने और मरीजों को मोबिलाईज कर जांच के लिए लाने के निर्देश दिए। इसके लिए सीएमओ को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

जावद व सरवानिया महाराज में टीकाकरण शिविर का निरीक्षण

कलेक्टर श्री चंद्रा ने शनिवार को जावद के वार्ड नं.6 में संचालित आंगनवाडी केंद्र पर टीकाकरण शिविर का जायजा लिया। उन्होने कार्यकर्ताओं से सभी बच्चों के टीकाकरण की जानकारी ली। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया, कि कोई भी बच्चा और गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित नही है।

कलेक्टर ने सरवानिया महाराज के डोम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। उन्होने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर टीकाकरण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। ऋ्रूएवं ऋ्रूश्रेणी के बच्चों का चिंहाकन, ए.एन.सी. जांच आदि के बारे में भी पूंछा। कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया, कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा व गर्भवती महिला टीकाकरण से शेष नहीं है। सभी का टीकाकरण हो चुका है। कलेक्टर ने आंगनवाडी टीम द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान में किए जा रहे कार्यो की सराहना की।

आमलीभाट में आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ किया भोजन

कलेक्टर श्री चंद्रा ने शनिवार को प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत ग्राम आमलीभाट का भ्रमण कर सम्पूर्ण टीकाकरण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होने ग्रामीणों से खाद की उपलब्धता, नैनो, यूरिया के उपयोग, राशन वितरण आदि के बारे में चर्चा कर जानकारी ली। कलेक्टर श्री चंद्रा ने आमलीभाट की आंगनवाडी केंद्र में बच्चों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन ग्रहण किया और भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। उन्होने भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा, कि रोजाना बच्चों को इसी तरह अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जाए। इस मौके पर एसडीएम सुश्री प्रीति संघवी, कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अंकिता पंड्या, तहसीलदार श्री नवीन गर्ग एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नीमच में कपड़ा बाजार रहेगा पूरी तरह बंद आज 'एक रविवार परिवार के नाम'—वस्त्र व्यापारियों ने लिया सामूहिक अवकाश का निर्णय

नीमच। शहर के समस्त कपड़ा व्यापारियों ने पारिवारिक और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए रविवार, 28 दिसंबर 2025 को अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वस्त्र व्यवसाय कल्याण संघ समिति, नीमच द्वारा लिया गया है, जिसके तहत अब हर माह के अंतिम रविवार को कपड़ा बाजार बंद रहेगा।

संघ ने इसे एक रविवार परिवार के नाम की संकल्पना के रूप में लागू किया है, ताकि व्यापारी अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकें। इसी कड़ी में रविवार को नीमच का संपूर्ण कपड़ा बाजार बंद रहेगा।

संस्था ने शहरवासियों एवं बाहर से आने वाले ग्राहकों से अपील की है कि वे अपनी कपड़ों की खरीदारी रविवार से पहले या बाद में कर लें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। वस्त्र व्यवसाय कल्याण संघ के अध्यक्ष दिलीप मोगरा, सचिव दीपक परवानी एवं कोषाध्यक्ष दीपक शर्मा ने सभी व्यापारियों से संगठनात्मक निर्णय का पालन करने की अपील की है। यह जानकारी संघ के प्रवक्ता मुकेश पार्टनर ने दी। उल्लेखनीय है कि यह पहल व्यापारिक एकता के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

एसडीएम जावद ने दिए पटवारी पर एफआईआर के निर्देश, किसान से 64 हजार की वसूली के आदेश

नीमच। जावद एसडीएम सुश्री प्रीति संघवी ने सिंगोली तहसील के ग्राम बाणदा में राजस्व अभिलेखों में की गई गड़बड़ी के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि को पुनः शासकीय घोषित किया है।

साथ ही, तत्कालीन पटवारी प्रकाश जैन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 एवं 318 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने तथा किसान जगदीश पिता बंशीलाल धाकड़ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्राप्त 64,000 (चौंसठ हजार रुपये) की वसूली के आदेश जारी किए हैं।

एसडीएम प्रीती संघवी ने बताया कि शिकायत के अनुसार ग्राम बाणदा की भूमि सर्वे नंबर 270/1/15 (रकबा 1.000 हेक्टेयर) एवं 270/1/17 (रकबा 0.500 हेक्टेयर) वर्ष 2016-17 तक राजस्व अभिलेखों में रिक्त दर्शाई गई थी। वर्ष 2017-18 में इन सर्वे नंबरों पर क्रमशः बंशीलाल पिता नानुराम धाकड़ एवं जगदीश पिता बंशीलाल धाकड़ के नाम प्रविष्ट कर दिए गए, जबकि इसके लिए कोई सक्षम आदेश या वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था।तहसीलदार सिंगोली की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उक्त प्रविष्टियां अवैध रूप से की गई, और उसी आधार पर संबंधित व्यक्ति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19 किश्तें तथा मुख्यमंत्री किसान योजना की 13 किश्तों की राशि कुल 64,000 प्राप्त की।

एसडीएम प्रीति संघवी ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में यह हेराफेरी तत्कालीन पटवारी प्रकाश जैन की मिलीभगत से हुई प्रतीत होती है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पटवारी ने जानबूझकर शासकीय भूमि में आरोपी का नाम अंकित कर उसे आर्थिक लाभ पहुँचाया।

इस प्रकरण में भूमि को पुनः शासकीय घोषित करते हुए एसडीएम ने आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अवैध रूप से प्राप्त की गई किसान योजना की पूरी राशि वसूलने की जिम्मेदारी तहसीलदार सिंगोली को सौंपी गई है।

एक नजर — धानुका सोया प्लांट में जीरो वेस्ट लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम बंद पाया गया

धानुका सोया प्लांट प्रशासन की रडार पर, पीसीबी रिपोर्ट ने खोली पोल, एसडीएम ने थमाया कारण बताओ नोटिस

नीमच। जमुनिया कला स्थित धानुका सोया प्लांट एक बार फिर प्रशासन के रडार पर आ गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की जांच रिपोर्ट सामने आते ही जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। रिपोर्ट में प्रदूषण की पुष्टि होने के बाद नीमच एसडीएम संजीव साहू ने फैक्ट्री प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल, नवंबर माह में *PCB* द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री की कई गंभीर खामियां उजागर हुई थीं। स्थानीय स्तर पर लगातार मिल रही शिकायतों और जमीनी हकीकत सामने आने के महज 50 घंटे के भीतर पीसीबी उज्जैन की तीन सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। उसी जांच की विस्तृत रिपोर्ट अब प्रशासन के पास पहुंच चुकी है।

रिपोर्ट में क्या-क्या निकला पीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक धानुका सोया प्लांट में जीरो वेस्ट लिक्विड डिसचार्ज सिस्टम बंद पाया गया, जो पर्यावरणीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा फैक्ट्री परिसर के बाहर प्रदूषित पानी जमा होना भी दर्ज किया गया है। इन सभी बिंदुओं को लेकर प्रदूषण मंडल ने बिंदुवार रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है। 15 साल में भी नहीं बनी हरित पट्टी रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि करीब 15 वर्षों से संचालित इस औद्योगिक इकाई में नियमों के अनुसार हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) विकसित नहीं की गई। जबकि पर्यावरण संरक्षण के तहत यह हर फैक्ट्री के लिए अनिवार्य शर्त है। बदबू से त्रस्त हैं

कड़ी कार्रवाई के संकेत

एसडीएम संजीव साहू ने साफ किया है कि तय समय-सीमा में फैक्ट्री प्रबंधन को संतोषजनक जवाब देना होगा। जवाब कमजोर या असंतोषजनक पाए जाने पर भारी जुर्माना, सुधारात्मक निर्देश, उत्पादन पर अस्थायी रोक या फैक्ट्री संचालन पर प्रतिबंध जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।